

निर्णय
23.2.2024

2024/132

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
रजीराम सिहाग बनाम ओमप्रकाश आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 73 वर्ष 2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
10.02.2026	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्बी किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 16.02.2026 को पेश हो। ॐ	
11.2.2026	वकील उपरोक्त ने प्रार्थना- पत्र मिथाल पेशी पेश करने पर प्रजावली को पेशी में लिखा गया। कुलार् फरिजेन उपरिपत्र। प्रतिकरी कवाग प ने जारी वकील सुभाषक (विद्यार्थी) उपरिपत्र आकर इन्वोल दाता पेश किया जिसे शामिल करके लिखा गया। प्रजावली वाले स्टेट एन्डर कार्ड 16.2.2026 को पेश हो। ॐ	ॐ ॐ ओमप्रकाश बनवारी
16.2.2026	कुलार् फरिजेन उपरिपत्र/PC साइड भवन में प्रजावली उपरिपत्र। प्रजावली को पेश करने के लिए 23.2.2026 को पेश हो। ॐ	सुलतान
23.2.2026	कुलार् फरिजेन उपरिपत्र। स्टेट एन्डर कार्ड उभा वरुह सुनी गरी प्रजावली का उपरोक्त लिखा गया प्रजावली पर उपरोक्त रिपोर्ट आदि प्रजावली की सहायता के आधार पर वाद वकील प्रतिकरी किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल करके लिखा जाके प्रजावली नम्बर से अगली जाकर वाद वकील तत्काल जाता शामिल करके हो। ॐ	सुलतान सुलतान

